प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़ दिनाँक:- 12.06.2022

अभियुक्त द्वारा गोली मारकर हत्या करने के प्रयास मे वांछित अभियुक्त कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस द्वारा घटना मे प्रयुक्त 01 अदद तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अशोक कुमार मीणा व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी महोदय नगर श्री प्रदीप सिंह जनपद फतेहगढ के कुशल परिवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्र0नि0 श्री विनोद कुमार शुक्ल मय उ0नि0 भोलेन्द्र चतुर्वेदी मय हमराह हे0का0 344 सत्यप्रकाश द्वारा दिनांक 09.06.2022 को अभियुक्तगण द्वारा वादी श्री रोहन यादव पुत्र स्व0 कैलाश कुशवाहा निवासी माधवपुर थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ क भाई सुमित पुत्र स्व0 श्री कैलाश निवासी उपरोक्त को जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर घायल करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ में पंजीकृत मु0अ0सं0 340/22 धारा 147/148/149/323/504/307 भादवि0 में वांछित अभियुक्त गोलू उर्फ सचिन पुत्र अरविन्द कुशवाहा उम्र करीब 19 वर्ष निवासी गढी की मडैया थाना मऊदरवाजा जनपद फर्रुखाबाद को आज दिनांक 12.06.2022 को समय 13.24 बजे खानपुर पंचायत घर मोड के पास थाना कोत0 फर्रु0 जनपद फतेहगढ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त की निशादेही पर घटना मे प्रयुक्त तंमचा 315 वोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 वोर भैरव बाबा मन्दिर के पास झाडी थाना कोतवाली फर्रुखाबाद से वरामद किया गया जिस सम्बंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 351/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

गोलू उर्फ सचिन पुत्र अरविन्द कुशवाहा उम्र करीब 19 वर्ष निवासी गढी की मडैया थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ।

अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 340/22 धारा 147/148/149/323/504/307 भादवि0 कोतवाली फर्रु0

2-मु0अ0सं0 351/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फर्रु0

3-एनसीआर नं0 70/22 धारा 323/504 भादवि0 थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ

बरामदगी:-

01अदद तमंचा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 भोलेन्द्र चतुर्वेदी थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ।

2- हे0का0 344 सत्यप्रकाश थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फतेहगढ ।